Eduction Institutes for Divyang

763. SMT. GEETA BHUKAL, M.L.A: Will the Minister of State for Social Justice and Empowerment be pleased to state:

a. the steps being taken by the Government for the welfare of disabled/divyang of State especially during the Corona period; and

b. the number of Education Institutes and other centres for the disabled in the State?

Sh. Om Prakash Yadav **Minister of State**
Social Justice and Empowerment Department,
Haryana

Sir,

The steps taken by the Government for the Welfare of Persons with Disabilities are as follows:

a.

<u>Disability Pension</u>

The Govt. of Haryana is providing pension to the Persons with Disability with annual income less than specified limit in age group of 18 to 60 years and having disability of 60-100% @ Rs. 2500/- Per Month w.e.f. 01.04.2021.

<u>Financial Assistance to Non-School Going Disabled Children</u>

Under this scheme financial assistance @ Rs. 1900/- p.m. is being provided to Intellectually Disabled children who are in the age group of 0-18 years and not able to attend formal education due to their disability.

<u>Financial Assistance to Acid Attack Victims</u>

Financial Assistance to Victims of Acid Attack is being provided by the State Government.

<u>Government Institute for the Blind, Panipat</u>

Government Institute for Blind (a residential school) is being run at Panipat by the Social Justice and Empowerment Department, Haryana for Visually Impaired students in which facilities like education, boarding and lodging, clothing, food etc. are being provided.

<u>Training Centre for Adult Blind, Panipat</u>

A training centre for Adults with Visual Impairment is being run at Panipat. Training Centre for Adult Blind is providing vocational training in the trades of caning of chairs, weaving, candle making and music. A computer training cell has also been established in this institute.

Grant-in-Aid to Voluntary Organizations

Grant-in-aid is provided to Non Government Organisations/Voluntary Organization like Hind Kusht Niwaran Sangh, District Handicapped Welfare Centres, Haryana Welfare Society for Persons with Speech and Hearing Impairment and other organizations working in the field of Disability Welfare. Grant-in-aid is provided to these organizations for the purpose of staff honorarium, ration money and maintenance allowance of residents etc.

District Rehabilitation Centre, Bhiwani

District Rehabilitation Centre, Bhiwani is working for the rehabilitation of the Persons with Disabilities (PwDs) by providing aids and appliances / artificial limbs.

State Institute for Rehabilitation, Training and Research (SIRTAR), Rohtak

The State Institute for Rehabilitation, Training and Research (SIRTAR) is set up with objective to provide educational as well as rehabilitation services to persons with special needs for mainstreaming them in the society. It also aims to develop trained manpower in the field of disability and to undertake research in the field of Intellectual Disability, Cerebral Palsy, Autism & Multiple Disabilities.

State Awards in the Field of Disability Welfare

Every year State Govt. confers State Awards in the following categories to those who have done outstanding work in the field of Disability Welfare:-

(I) Best Disabled Employee
(II) Best Employer Award
(III) Best Individual
(IV) Best Institution
(V) Barrier-free Environment
(VI) Creative Award

Life-Long Care Home

State Govt. has decided to construct a Life-Long Care Home for 192 Persons with Intellectual Disability at Ambala. It will help to meet both the medical and non-medical needs of people with chronic illness or disability who cannot care for themselves for long period.

Details of Steps taken by the government for the Welfare of Persons with Disability during COVID period is as follows:

(i) Pension to the Persons with Disabilities as per Govt. scheme was provided regularly during the Corona period.

(ii) Social Justice and Empowerment Department, Haryana has sent the Comprehensive Disability Inclusive Guidelines for Protection and safety of

Persons with Disabilities during COVID-19 to concerned departments and District Administration in the months of April, 2020**.**

(iii) Social Justice and Empowerment Department, Haryana has sent Guidance Note on Near to Home COVID Vaccination Centres (NHCVC) for Elderly and Differently Abled Citizens to Health Department, Haryana keeping in mind the requirements of these citizens.

b) There are 110 Educational Institutes and other centres for the Persons with Disabilities in the State.

दिव्यांग के लिए ि ाक्षा संस्थान

763. श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.: क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) राज्य के अक्षम/दिव्यांग के कल्याण के लिए वि ोशकर कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं: तथा

(ख) राज्य में अक्षम/दिव्यांग के लिए ि ाक्षण संस्थानों तथा अन्य केन्द्रों की संख्या कितनी है?

....

श्री ओम प्रका ा यादव — **राज्य मंत्री**
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हरियाणा

....

महोदय,

दिव्यांगजन के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार से है:–

(क)

<u>दिव्यांगजन पैं ान</u>

हरियाणा सरकार दिनांक 01.04.2021 से 18 से 60 वर्ष के 60–100 प्रति ात दिव्यांगता वाले व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय निर्दिष्ट सीमा से कम है उन्हें 2500/–रूपये प्रतिमाह की दर से पैं ान प्रदान कर रही है ।

<u>स्कूल न जा सकने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता</u>

इस योजना के तहत बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चे जो 0–18 वर्ष के आयु वर्ग में हैं और अपनी दिव्यांगता के कारण औपचारिक शिक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा 1900/–रू0 प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

<u>तेजाब हमले से पीड़ित वित्तीय सहायता योजना।</u>

राज्य सरकार द्वारा तेजाब हमले से पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

<u>राजकीय अन्ध विद्यालय, पानीपत</u>

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पानीपत में (एक आवासीय विद्यालय) चलाया जा रहा है जिसमें शिक्षा, रहने–खाने, कपड़े, भोजन आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

<u>प्रौढ़ नेत्रहीन प्रि ाक्षण केन्द्र, पानीपत</u>

पानीपत में नेत्रहीन वयस्कों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है। जिसमें वयस्क नेत्रहीनों को कुर्सियों की बुनाई, मोमबत्ती बनाने और संगीत आदि का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस संस्थान में एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान

गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठन जैसे हिंद कुश्ठ निवारण संघ, जिला विकलांग कल्याण केंद्र, हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट और दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इन संगठनों को कर्मचारियों के मानदेय, राशनमनी और संवासियों के भरण–पोषण भत्ता आदि के उद्देश्य से सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

जिला पूनर्वास केन्द्र, भिवानी

जिला पुनर्वास केंद्र, भिवानी में सहायक उपकरण / कृत्रिम अंग प्रदान कर दिव्यांगजन के पुनर्वास के लिए काम किया जा रहा है।

राज्य पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सिरतार), रोहतक

राज्य पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सिरतार) की स्थापना समाज में दिव्यांगजन को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को शैक्षिक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रही है। संस्थान का उद्देश्य दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति विकसित करना और बौद्धिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और बहु दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान करना है।

दिव्यांगजन के क्षेत्र में राज्य पुरस्कार योजना

राज्य सरकार प्रतिवर्श दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को निम्नलिखित श्रेणियों में राज्य पुरस्कार प्रदान करती है :–

(I) सर्वश्रेश्ठ दिव्यांग कर्मचारी
(II) सर्वश्रेश्ठ नियोक्ता पुरस्कार
(III) सर्वश्रेश्ठ व्यक्ति
(IV) सर्वश्रेश्ठ संस्था
(V) बाधामुक्त वातावरण
(VI) सर्वश्रेश्ठ सृजन ीील पुरस्कार

आजीवन देखभाल गृह

राज्य सरकार द्वारा अंबाला में बौद्धिक अक्षमता वाले 192 व्यक्तियों के लिए आजीवन देखभाल गृह का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। यह गंभीर बीमारी या दिव्यांगता वाले लोगों की चिकित्सा और गैर–चिकित्सीय दोनों जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं।

COVID अवधि के दौरान दिव्यांगजन के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण इस प्रकार है:

(i) सरकार द्वारा कोरोना काल में दिव्यांगजन को पैंशन नियमित रूप से प्रदान की गई।

(ii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा ने अप्रैल, 2020 में COVID-19 के दौरान दिव्यांगजन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश संबंधित विभागों एवं जिला प्र ाासन को भेजे गए।

(iii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा बुजुर्ग और दिव्यांगजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए घर के नज़दीक COVID टीकाकरण केंद्रों (NHCVC) हेतु मार्गदर्शन नोट स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा को भेजा गया ।

(ख) राज्य में दिव्यांगजन के लिए 110 शैक्षणिक संस्थान और अन्य केंद्र हैं।